

समाहरणालय, जमुई

खनन शाखा



अभिलाषा शर्मा, भा0प्र0से0

जिला पदाधिकारी, जमुई।

दूरभाष:-06345-222001(आ0)

06345-222002(का0)

Email:-dm-jamui.bih@nic.in

पत्रांक:-

/

दिनांक-

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,

बिहार, पटना।

विषय:-

दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जमुई जिलान्तर्गत विभिन्न श्रोतों से विभिन्न स्थलों पर जप्त बालू की नीलामी हेतु अल्पकालीन आम सूचना का प्रकाशन कराया जाना है। आम सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न अल्पकालीन आम सूचना अग्रणी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

समाहर्ता,

जमुई।

ज्ञापांक.....655...../खनन, जमुई, दिनांक 13.05.24

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, जमुई को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जमुई को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

13/05/24

समाहर्ता,

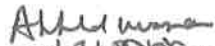
जमुई।

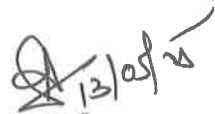
समाहरणालय, जमुई
(खनन शाखा)

**जमुई जिलान्तर्गत जप्त बालू की नीलामी हेतु अल्प कालीन
आम सूचना:-**

जमुई जिलान्तर्गत विभिन्न स्रोतों से जप्त बालू जो जहाँ है, जैसे है के आधार पर नीलामी हेतु दिनांक **28.05.2025** को पूर्वाह्न **11.30** बजे से समाहरणालय, जमुई स्थित सभागार में खुले डाक के माध्यम से निर्धारित शर्तों के अधीन किया जाएगा। अपरिहार्य कारण वश यदि निर्धारित तिथि को नीलामी नहीं होती है तो वैसी स्थिति में अगले कार्य दिवस को खुली नीलामी करायी जाएगी। इसके लिए सुयोग्य व्यक्ति/फर्म/कंपनी से मुहरबंद/सीलबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कंपनी निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रपत्र से संबंधित जानकारी जमुई जिले के वेबसाइट https://jamui.nic.in/notice_category/notice-board/ से प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने के लिए अग्रधन राशि एवं अन्य वांछित कागजात जिला खनन कार्यालय, जमुई में जमा करने की अंतिम तिथि **26.05.2025** समय संध्या **5:00** बजे तक है।


सहायक निदेशक,
जिला खनन कार्यालय,
जमुई।


समाहर्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(खनन शाखा)

जमुई जिलान्तर्गत जप्त बालू की नीलामी हेतु अल्पकालीन आम सूचना

जमुई जिलान्तर्गत विभिन्न श्रोतों से जप्त बालू जो जहाँ है, जैसे है के आधार पर नीलामी दिनांक 28.05.2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से समाहरणालय, जमुई स्थित सभागार में खुले डाक के माध्यम से निर्धारित शर्तों के अधीन किया जाएगा। अपरिहार्य कारणवश यदि निर्धारित तिथि को नीलामी नहीं होती है तो वैसी स्थिति में अगले कार्य दिवस को खुली नीलामी करायी जाएगी। इसके लिए सुयोग्य व्यक्ति/फर्म/कंपनी से मुहरबंद/सीलबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है।

भण्डारित जप्त बालू के स्थल एवं मात्रा की विवरणी

क्र०	अनुमंडल का नाम	अंचल	स्थान	बालू की मात्रा (घनफीट में)	सुरक्षित जमा राशि (रु० में)	अग्रधन राशि (सुरक्षित जमा राशि का 50 प्रतिशत)
1	जमुई	गिद्धौर	थाना परिसर गिद्धौर	8000	135520	67760
2	जमुई	जमुई	मनिअड्डा जेल परिसर	5650	95711	47856
3	जमुई	लक्ष्मीपुर	धपरी मोड़	16100	238602	119301
4	जमुई	खैरा	गरही थाना परिसर	700	11858	5929
कुल—				30450	481691	240846

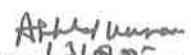
आम नीलामी निम्न शर्तों के अधीन की जाएगी:—

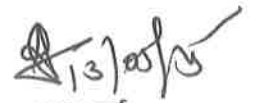
- डाकवक्ता को निर्धारित अग्रधन राशि के साथ ही अपना पैनकार्ड, आधारकार्ड, जी०एस०टी० निबंधन की स्व-अभिप्रमाणित प्रति तथा खनन बकाया नहीं रहने संबंधी स्व-अभिप्रमाणित शपथपत्र देना होगा।
- डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र देना होगा।
- डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान को डाक हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् दिनांक 26.05.2025 के संध्या 5:00 बजे तक सुरक्षित जमा राशि का 50 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में Assistant Director, Mines & Geology, Jamui के पदनाम से मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत जमुई में भुगतये बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य वांछित कागजात (कंडिकानुसार) जिला खनन कार्यालय, जमुई में जमा करना होगा।
- उच्चतम डाकवक्ता को जप्त बालू के सुरक्षित जमा राशि के विरुद्ध बोली गयी उच्चतम डाक राशि पर 2.05 % आयकर, 2 % District Mineral Foundation, Jamui जिला खनन कार्यालय, जमुई में जमा करना होगा एवं नियमानुसार GST संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
- उच्चतम डाकवक्ता को डाक की तिथि से 07 (सात) कार्यदिवस के अंदर नीलामी की संपूर्ण राशि (अग्रधन की राशि समायोजित करते हुए) एवं अन्य देय कर का भुगतान करना होगा। इसके पश्चात् ही कार्यादेश निर्गत किया जाएगा। कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त ही बालू का उठाव करना सुनिश्चित करेंगे।
- उच्चतम डाकवक्ता को डाक की तिथि से अधिकतम 30 Days तक भंडारित स्थल से बालू हटा लेना होगा एवं संपूर्ण बालू उठाव होने तक की अवधि में जप्त बालू के सुरक्षा की जिम्मेवारी सफल (उच्चतम) डाक वक्ता की होगी।

7. उच्चतम डाकवक्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर संपूर्ण राशि जमा करने में असफल रहने की स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई अग्रधन की राशि को जप्त करते हुए पुनः नीलामी हेतु विज्ञापन प्रकाशित की जाएगी।
8. नीलामधारी को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को खनन विभाग द्वारा निर्गत प्रीपेड ई-चालान निर्गत करना होगा जिसमें बालू की मात्रा एवं विक्रय मूल्य भी अंकित रहेगी।
9. उत्तोलित बालू के लिए विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह के 15 तारीख तक विवरणी जिला खनन कार्यालय, जमुई में दाखिल करना होगा एवं बालू प्रेषण के लिए नियमानुसार पंजी संधारित करनी होगी।
10. प्रेषण स्थल पर साईनबोर्ड लगाना होगा जिसमें भण्डारित स्थल की विवरणी, नीलामधारी का नाम एवं पता, कार्यादेश की अवधि, स्थानीय प्रबंधक का नाम, पता एवं विक्रय मूल्य अंकित करना होगा।
11. नीलामधारी को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2024 के नियमों एवं शर्तों तथा पर्यावरणीय प्रावधानों का पालन करना होगा।
12. श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों की सुविधा के लिए विश्राम, शेड, पेयजल, आदि की व्यवस्था करनी होगी।
13. नीलामधारी को समाहर्ता द्वारा बालू प्रेषण के संचालन के संबंध में जनहित में दिये गये अन्य निदेशों का पालन करना होगा।
14. मार्ग से संबंधित कोई व्यावधान अथवा अन्यान्य कारण से बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
15. डाकवक्ता भण्डारित जप्त बालू का आकलन डाक में भाग लेने से पूर्व स्वयं स्थल भ्रमण कर आश्वस्त हो लेंगे, बाद में किसी भी प्रकार का दावा एवं बालू की मात्रा में कमी से संबंधित आपत्ति मान्य नहीं होगा।
16. नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा **CLARIFICATION** के लिए जिला खनन कार्यालय, जमुई (मो0 नं0- 8002304191) से संपर्क किया जा सकता है।
17. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2024 के शर्तों एवं बन्धेजों का अनुपालन नहीं करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय नीलामी को रद्द करने का संपूर्ण अधिकार समाहर्ता को सुरक्षित रहेगा।

➤ जप्त बालू की नीलामी हेतु निविदा प्रपत्र जिले के वेबसाइट—
https://jamui.nic.in/notice_category/notice-board/ से प्राप्त कर सकते हैं।

➤ नीलामी में भाग लेने के लिए अग्रधन राशि एवं अन्य वांछित कागजात जिला खनन कार्यालय, जमुई में जमा करने की **अंतिम तिथि 26.05.2025 को संध्या 5:00 बजे तक** है।


सहायक निदेशक,
जिला खनन कार्यालय,
जमुई।


समाहर्ता,
जमुई।